

डिस्क्लेमर

आदेश संख्या 01/2025-26 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।



सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्त आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

**छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई (सीएसएमआईए) के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि
(01-04-2024 -31.03.2029) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में**

जारी करने की तारीख : 07 मई, 2025

तृतीय तल, उड़ान भवन
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

14 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए प्राधिकरण के निर्णयों का सार

अध्याय 2 : प्रथम नियंत्रण अवधि का टू-अप

- 2.7.1 वैमानिक करों की गणना करते समय वैमानिक राजस्व से संबंधित वार्षिक शुल्क को खर्च के रूप में न मानना।
- 2.7.2 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप तालिका 21 के अनुसार वैमानिक करों के टू-अप को मानना।
- 2.7.3 तालिका 24 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप को मानना।
- 2.7.4 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए टू-अप के दौरान 291.78 करोड़ रूपए की अधिक वसूली को चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण कार्य के भाग के रूप में मानना।

अध्याय 3 : द्वितीय नियंत्रण अवधि का टू-अप

- 3.10.1 वैमानिक करों की गणना करते समय वैमानिक राजस्व से संबंधित वार्षिक शुल्क को खर्च के रूप में न मानना।
- 3.10.2 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप तालिका 46 के अनुसार वैमानिक करों को मानना।
- 3.10.3 तालिका 36 के अनुसार मूल्यहास पर प्रभाव और तालिका 54 के अनुसार आरएबी पर प्रतिलाभ को मानना जैसा कि प्राधिकृत अन्वेषण एजेंसी (एआईए) द्वारा जारी स्वतः पूर्ण नोट (एससीएन) द्वारा निर्धारित गया है।
- 3.10.4 तालिका 55 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए लक्षित राजस्व को मानना।
- 3.10.5 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टू-अप के दौरान 1,267.15 करोड़ रूपए की अधिक वसूली को चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण कार्य के भाग के रूप में मानना।

अध्याय 4: तृतीय नियंत्रण अवधि का टू-अप

- 4.14.1 तालिका 56 के अनुसार वास्तविक आकड़ों के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टू-अप के लिए यातायात को मानना।
- 4.14.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए तालिका 82 के अनुसार आरएबी और तालिका 89 के अनुसार एचआरएबी को मानना।
- 4.14.3 तृतीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए तालिका 96 और तालिका 97 के अनुसार क्रमशः आरएबी और एचआरएबी के लिए वैमानिक मूल्यहास को मानना।
- 4.14.4 पैरा 4.8.35 में दिए गए विवरण के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए एफआरओआर अर्थात 12.81% को मानना।
- 4.14.5 तालिका 143 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए वैमानिक प्रचालन और अनुरक्षण खर्च को मानना।
- 4.14.6 तालिका 153 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।
- 4.14.7 तालिका 159 के अनुसार वैमानिक करों की गणना करते समय वैमानिक राजस्व से संबंधित वार्षिक शुल्क को खर्च के रूप में न मानना और तृतीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए वैमानिक करों को मानना।
- 4.14.8 तालिका 164 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए वैमानिक राजस्व को मानना।
- 4.14.9 तालिका 92 के अनुसार मूल्यहास पर प्रभाव और तालिका 167 के अनुसार आरएबी पर प्रतिलाभ को मानना जैसा कि प्राधिकृत अन्वेषण एजेंसी (एआईए) द्वारा जारी स्वतः पूर्ण नोट (एससीएन) द्वारा निर्धारित किया गया है।
- 4.14.10 723.11 करोड़ रूपए की अधिक वसूली (तालिका 169 के अनुसार) को चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए मानना।

अध्याय 5: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए यातायात

5.6.1 सीएसएमआईए के लिए तालिका 174 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के यातायात को मानना, जिसे पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर टू-अप किया जाएगा।

अध्याय 6: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), मूल्यहास और विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी)

6.11.1 तालिका 252 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी और औसत एचआरएबी को मानना।

6.11.2 तालिका 249 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यहास को मानना।

6.11.3 तालिका 247 में उल्लेख किए अनुसार यदि कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूँजीकृत नहीं होती है तो लक्षित राजस्व (टीआर) से परियोजना की पूंजीकृत न की गई लागत की 1% राशि घटाना (समायोजित करना)। पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय इसकी जांच की जाएगी।

6.11.4 केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अध्याय V के अनुसार निवेश कर जमा राशियों के लेखांकन की जांच करना और पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय आवश्यक समायोजन करना।

6.11.5 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए आरएबी की गणना करते समय औसत आरएबी को मानना और पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय आरएबी में वास्तविक परिवर्धनों के आधार पर वैमानिक पूंजीगत व्यय, मूल्यहास और आरएबी को उपयुक्त, कार्यक्षम और औचित्यपूर्ण होने की शर्त पर यथानुपात आधार पर व्यय को टू-अप करना।

अध्याय 7 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर

7.6.1 तालिका 260 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए ईक्विटी की लागत, ऋण की कार्यक्षम लागत, काल्पनिक ऋण ईक्विटी अनुपात और एफआरओआर को मानना।

7.6.2 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय वास्तविक (या) एसबीआई औसत एक वर्ष एमसीएलआर प्लस 150 बीपीएस (जो भी कम हो) के आधार पर चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए ऋण की लागत को टू-अप करना।

अध्याय 8 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

8.6.1 तालिका 263 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति दरों को मानना।

अध्याय 9 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) खर्च

9.7.1 तालिका 327 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

9.7.2 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्य एवं कार्यक्षमता की शर्त पर वास्तविक आंकड़ों के आधार पर चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को टू-अप करना।

अध्याय 10 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए गैर- वैमानिक राजस्व

10.6.1 सीएसएमआईए के लिए तालिका 344 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व और 'एस' फेक्टर को मानना।

10.6.2 यदि गैर-वैमानिक राजस्व तालिका 344 में प्राधिकरण द्वारा निर्णीत गैर-वैमानिक राजस्व से अधिक है, तो अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय गैर-वैमानिक राजस्व के टू-अप को मानना।

अध्याय 11: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक कराधान

11.5.1 वैमानिक करों का परिकलन करते समय वैमानिक राजस्व से संबंधित वार्षिक शुल्क को खर्च के रूप में न मानना।

11.5.2 सीएसएमआईए के लिए तालिका 348 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक करों को मानना, जिन्हें अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय टू-अप किया जाएगा।

अध्याय 12: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

12.6.1 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता के कारण लक्षित राजस्व में किसी भी समायोजन को नहीं मानना।

अध्याय 13 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए लक्षित राजस्व (टीआर)

- 13.6.1 तालिका 355 के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए लक्षित राजस्व और वाईपीपी को मानना।
- 13.6.2 तालिका 356 के अनुसार मायल के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए अनुमानित वैमानिक राजस्व को मानना।
- 13.6.3 संलग्नक 1 के अनुसार मायल के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए 16 मई, 2025 से लागू टैरिफ दर कार्ड को मानना।
- 13.6.4 संलग्नक 1बी- परिवर्ती टैरिफ योजना के अनुसार 16 मई, 2025 से लागू परिवर्ती टैरिफ योजना को मानना।
- 13.6.5 मायल को यह निर्देश देना कि वह सुनिश्चित करे कि इकाओ के गैर-भेदभाव के सिद्धांतों का उल्लंघन न हो।
- 13.6.6 मायल को निर्देश देना कि वह सभी हितधारकों और प्राधिकरण की जानकारी के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि के दौरान दिए गए प्रोत्साहनों, अर्जित राजस्व और इस संबंध में किए गए व्यय का अलग-अलग रिकॉर्ड रखे, ताकि बाद की नियंत्रण अवधियों के लिए वैमानिक टैरिफ के निर्धारण के लिए सुविचारित मत प्राप्त किया जा सके।

15 टैरिफ आदेश

- 15.1.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर प्राधिकरण एतद्वारा आदेश के संलग्नक-1 में दर्शाए अनुसार सीएसएमआई हवाईअड्डा के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वसूली जाने वाली वैमानिक टैरिफ निर्धारित करता है।
- 15.1.2 वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन बनाए गए वायुयान नियम, 1937 के नियम, 89 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतद्वारा आदेश के संलग्नक-1 में दिए गए दर कार्ड में इंगित किए अनुसार यूडीएफ की दर निर्धारित करता है।
- 15.1.3 इसमें निर्धारित टैरिफ उच्चतम दरें हैं और इनमें कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।
- 15.1.4 आदेश 16 मई, 2025 से प्रभावी किया जाएगा।
- 15.1.5 हवाईअड्डा प्रचालक प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए अपना एमवाईटीपी प्राधिकरण को ठीक समय पर प्रस्तुत करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवामें,

श्री विष्णु मोहन झा, प्रमुख हवाईअड्डा अधिकारी,
मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,
मुम्बई, महाराष्ट्र -400099

प्रतिलिपि;

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली – 110 003
2. अध्यक्ष, भारतीय विमापत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
3. नागर विमानन महानिदेशालय :एआईसी जारी करने के लिए



